

18/12/18
(16)

15/10/18
29/10/18

फर्द अहकाम

(नियम 13)

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

अज अदालत तहसीलदार, सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम




शेखाराम वल्द भानुगाराभ काँम

सडा

जाट निवासी जौधेश्वर नगर

किस्म मुकद्दमा - राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

मु. न. 16 सन 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिसियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26/9/18	<p>पटवारी हल्का सडा ने रिपोर्ट पेश कर मुचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने सवत 2075 में मौजा जौधेश्वर नगर के खसरा नं० 23 रकबा 0-12 बीघा किस्म भूमि को मुठ गोवा पर नाजायज अतिक्रमण कर काष्ठ व कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गेर सायल को तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 15/10/18 को बमुकाम सिणधरी पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  तहसीलदार सिणधरी </p>	
15/10/18	<p>पत्रावली भाग प्रस्तुत हुई। गेर सायल उपस्थित गेर सायल अतिक्रमण इशारे देते सायल जाहिर हो जा बीघा जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 29/10/18 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">  तहसीलदार सिणधरी </p>	<p style="text-align: right;">  </p>
<p>RLMS 2018/00027 18/12/18</p>	<p>निर्दिष्ट</p>	


18-12-18

पत्रावली भाग प्रस्तुत हुई) और सागल
 अनुपस्थित। पत्रावली दृष्टि उपस्थित
 श्री रेवाराज ने किली प्रकार कब जवाब
 प्रस्तुत नहीं किया एवं न ही के विधि
 सम्मत कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया
 है। अतः श्री रेवाराज के आतिथ्य के विधि
 किया जाता है। निर्णय अलग से लिखा
 जाकर प्रस्तुत है। निर्णय सुले-आगत
 के सुनाया गया। पत्रावली के अंत सुनाकर
 होकर मंवर से कर होकर दारिदल
 दफ्तर है।

म
 प.स.प.

तहसीलदार सिणधरी

वर्ष 2018-19 के राजस्व लेखा पंजिका सं. 4 के
 पृष्ठ सं. 11 पर क्र.सं. 8 पर जुमाना/फसल
 निलामी राशि रु. 50/- की मांग दर्ज की गई।


 तहसील राजस्व लेखाकार
 तहसील सिणधरी